

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

19 दिसम्बर 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन “ प्रत्यक्ष कर” आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये ‘प्रत्यक्ष कर’ की प्रतिवेदन संख्या 40 आज संसद में प्रस्तुत किया गया है।

इस रिपोर्ट में ‘संवीक्षा निर्धारणों के दौरान मिथ्या मांग’ और ‘निर्धारितियों द्वारा झूठे लेन-देन’ पर दो लंबे पैराग्राफ के अतिरिक्त ₹4,186.8 करोड़ के कर प्रभाव वाली 457 लेखापरीक्षाआपत्तियां तथा ‘आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया’ पर विषय निर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं।

रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण आपत्तियां नीचे दर्शाई गई हैं:

- प्रत्यक्ष कर वि.व. 2015-16 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में (₹ 1.08 लाख करोड़) 14.5 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 51.0 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49.5 प्रतिशत हो गया (पैराग्राफ 1.5.1)।
- निगम कर से संग्रहण वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 4.53 लाख करोड़ से 7.0 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹4.85 लाख करोड़ हो गया और आयकर से संग्रहण वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹2.80 लाख करोड़ से 21.5 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 3.41 लाख करोड़ हो गया (पैराग्राफ 1.5.3 और 1.5.4)।

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगमित कर और आय कर का स्वैच्छिक अनुपालन वित्त वर्ष 2015-16 में 81.2 की तुलना में 82.8 प्रतिशत था (पैराग्राफ 1.5.6)।
- संवीक्षा के लिए देयनिर्धारण के कुल 9.20 लाख मामलों में से आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.04 लाख मामलों का निपटान किया था (पैराग्राफ 1.8.1)।
- पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के विलम्ब में काफी कमी हुई जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में 28.9 प्रतिशत के मुकाबले वि.व. 2016-17 में केवल 10.7 प्रतिशत हैं (पैराग्राफ 1.9)।
- बकाया मांग वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 8.2 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹10.4 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने दर्शाया कि वि.व. 2016-17 में 98.6 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल होगी (पैराग्राफ 1.10.1 और 1.10.2)।
- आयकर आयुक्त (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.6 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2.9 लाख हो गई और इन मामलों में अवरूद्ध राशि ₹ 6.1 लाख करोड़ थी (पैराग्राफ 1.11.1)।
- पिछले कुछ वर्षों में निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में लगातार और अत्यधिक अनियमिततायें हुई हैं। पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार बताने के बावजूद भी ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति विभाग की ओर से संरचनात्मक कमियों के साथ-साथ ऐसी अनियमितताओं का पता लगाने हेतु उचित संस्थागत तंत्र का अभाव दर्शाती है। ऐसी अनियमितताएँ विशेष रूप से महाराष्ट्र और दिल्ली के निर्धारण प्रभारों में देखी गई (पैराग्राफ 2.3)।
- आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई आपत्तियों के आधार पर 2016-17 के दौरान ₹367 करोड़ की वसूली की (पैराग्राफ 2.5.1)।
- वि.व. 2015-16 में ₹1638 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2243 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु काल बाधित हो गए (पैराग्राफ 2.6.2)।

167 आयुक्तालयों, जो इस रिपोर्ट में हैं, की नमूना जांच पर आधारित निष्कर्ष

- इस रिपोर्ट में ₹3851 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 320 उच्च मूल्य वाले मामले बताए गये हैं(पैराग्राफ 3.1.1) । यह मामले मुख्य रूप से आय और कर की गणना में अंकगणित त्रुटियों, ब्याज लगाने में चूक, मूल्यहास/कारोबार हानियां/पूजी हानियां अनुमत करने में अनियमितताएं, कारोबार व्यय की गलत अनुमति, अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट आदि से संबंधित थे।
- इस रिपोर्ट में ₹336 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर से संबंधित 131 उच्च मूल्य वाले मामले तथा धन कर के छः मामले बताए गये हैं(पैराग्राफ 4.1.1) । यह मामले मुख्य रूप से आय और कर की गणना में अंकगणित त्रुटियों, ब्याज लगाने में चूक, ट्रस्ट/फर्म/समितियों/ व्यक्तियों के संघ को दी गई अनियमित छूट/कटौती, कारोबार व्यय की गलत स्वीकृति आयकी गलत गणना आदि से संबंधित थे।
- आयकर विभाग ने एसबीआई, बैंक ऑफ बडौदा, बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिन्द्रा बैंक, एयर इंडिया, डिपोजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी लिमिटेड आदि जैसे कुछ कॉर्पोरेट निर्धारितियों से उन पद्धतियों का सहारा लेकर जो अनियमित और अनाधिकृत थी अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मांग की थी। इस प्रकार संग्रहीत मांगों का धारा 244ए के अन्तर्गत ब्याज के साथ अगले वित्त वर्ष में प्रतिदाय किया गया था, जिसने प्रतिदायों पर प्रदत्त परिहार्य ब्याज के रूप में राजकोष पर भारी बोझ डाला (पैराग्राफ 5.5)।
- निर्धारण अधिकारी, अपने अधिकार जो इन्हें उपलब्ध नहीं थे, का मनमाने ढंग से प्रयोग करके फर्जी लेनदेनों से संबंधित राशि को स्वीकृत या अस्वीकृत कर रहे थे। जांच विंग की फर्जी दान से संबंधित रिपोर्ट का कुछ मामलों में ध्यान नहीं रखा गया था, जबकि अन्य मामलों में फर्जी दान या फर्जी खरीद की राशि को अस्वीकृत करते हुए कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। कुछ मामलों में जहां सम्पूर्ण अस्वीकृति आवश्यक थी अस्वीकृति केवल आंशिक रूप से दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई (पैराग्राफ 6.4)।
- लेखा परीक्षा ने अधिनियम/नियमों/सीबीडीटी परिपत्रों आदि के प्रावधानों का अनुपालन न करने से संबंधित ₹ 549.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,203 मामलों में अनियमितताएँ पाईं। ऐसी अनियमितताएँ लेखापरीक्षित कुल मामले के 12 प्रतिशत से अधिक थी (पैराग्राफ 7.8.1)।

- नियमों के अन्य उल्लंघनों को बताने के अलावा,सीआईटी (अपील) नेनिधारितियों द्वारा कर के भुगतान की पूर्वशर्त को नजरअंदाज करने वाली अपीलों को स्वीकार किया (पैराग्राफ 7.9)।
- अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन में, लेखा परीक्षा ने निर्धारिती को पहले ही जारी प्रतिदाय, ब्याज के कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण होने पर विचार न करने के कारण अपीलीय आदेशों को प्रभाव देने में चूकें देखी। अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत निर्धारिती को ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। लेखा परीक्षा नेऐसे मामले भी देखे जहां अपीलीय प्राधिकारियों ने राजस्व के पक्ष में निर्णय दिए परन्तु अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अप्राप्त रहा (पैराग्राफ 7.10)।